पत्रांक–.ग्रा0वि0–7(सा0वा0)–08/2014/– 215360

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग।

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रमय समन्वयक/
उप विकास आयुक्त–सह–जिला अपर कार्यक्रम समन्वयक/
सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 07 जनवरी, 2015

विषयः–मनरेगा योजना के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी का कार्यान्वयन Facilitater के सहयोग से कराने के संदर्भ में दिशा–निदेश।

प्रसंगः–ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–11017/17/2008–NREGA(UN) (Part-II), Dated-31 July, 2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि पूर्व में मुखिया स्तर पर जो भी पौधारोपण का कार्य कराया जा रहा था उसके कियान्वयन के कम में कई कमियॉ उजागर हुयी हैं यथा–पौधे की गुणवत्ता का ठीक न होना, एक पौधे से दूसरे पौधे की बीच की आदर्श दूरी को मेंटेन (Maintain) नहीं करना एवं पौधा को लक्ष्य समूह के साथ संलग्न करने के संदर्भ में इत्यादि। इन कमियों को दूर करने के संबंध में उच्च स्तर पर आयोजित बैठक में, लिये गये निर्णय के अनुसार सभी ग्राम पंचायत में Facilitator के सहयोग से ही सामाजिक वानिकी के कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाना है। Facilitator को ग्राम पंचायत के साथ सम्बद्ध करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–J-11011/1/2014–RE.I, दिनांक 04 September, 2014 के द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है।

2. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विचारोपरान्त ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अद्यतन दिशा–निर्देश के अनुसार निम्नांकित दिशा–निदेश दिया जाता है :–

(i) इस परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु विस्तृत दिशा–निदेश अर्थात् (SOP) बनाया गया है जिसे इस पत्र के साथ संलग्न किया गया है। SOP के सभी बिन्दुओं का शत–प्रतिशत अनुपालन करते हुए सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को कार्यान्वित कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के फलस्वरूप जितनी राशि की अनुमान्यता पक्का कार्य कराने के लिए उपलब्ध होगी उस राशि से यथा–संभव शौचालय एवं महादलित टोला के लिए पहुँच पथ का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करया जाएगा।

(iii) वित्तीय वर्ष 2012–13 तक जो भी योजना सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत लिया ली गयी है, उसके अभिलेख को बंद करते हुए, उन पौधों को वन संरक्षण योजना के अन्तर्गत 50–50 पेड़ एक परिवार के साथ संलग्न किया जाए। पूर्व में यदि एक परिवार को 20 वृक्ष दिया गया है तो वैसे परिवारों को 20 वृक्ष के अलावे 30 वृक्ष अतिरिक्त अर्थात कुल 50 वृक्ष दिया जाए। इस कार्यक्रम में सभी Facilitator का उपयोग कर कार्य को कराया जाए। इसके लिए Facilitator को अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(iv) वर्ष 2013–14 में जो भी पौधारोपण अब तक किया गया है उसके अभिलेख को बंद करते हुए अद्यतन दिशा–निदेश के अनुसार 200 पेड़ के लिए दो परिवारों को संलग्न किया जाए। संलग्न करने के समय यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यदि एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी अनुमान्य दूरी से कम हो तो न्यूनतम दूरी को दृष्टिपथ में रखते हुए अलग से थीनिंग (Thinning) करते हुए वर्तमान प्राक्कलन के अनुसार अभिलेख खोला जाए और यदि इन योजनाओं में निर्धारित मांपदंड के अनुरूप पौधारोपण का कार्य नहीं किया गया हो तो उस पर कार्रवाई की जाए। साथ ही पौधारोपण के समय एक बड़े पौधे से दूसरे बड़े पौधे की दूरी छः मीटर के बीच में एक छोटा फलदार पौधा का प्रावधान विस्तृत दिशा–निदेश में किया गया है। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि दो बड़े पौधों के बीच में एक छोटा फलदार पौधा लगाया जाए। इस कार्यक्रम में सभी Facilitator का उपयोग कर कार्य को कराया जाएगा। इसके लिए Facilitator को अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा और यह कार्य फरवरी, 2015 के अन्दर पूर्ण कराया जाय ।

(v) इस क्रम में जो नए अभिलेख खोले जाएगें उसमें योजना के क्रियान्वयन तिथि से अब तक की अवधि को पॉच वर्षो की अवधि से घटाकर वृक्ष संरक्षण योजना के तहत् संरक्षण हेतु प्रत्येक 200 पौधे के लिए दो परिवार के साथ संलग्न किया जाएगा। उदाहरणस्वरूप यदि कोई योजना वित्तीय वर्ष 2013–14 की है तो अब उसे मात्र तीन वर्षो के लिए संलग्न किया जायेगा।

(vi) Facilitator के द्वारा किये गये कार्यो को करने का खर्च प्रत्येक योजना के अन्तर्गत दो प्रतिशत आकस्मिक निधि के द्वारा वहन किया जाएगा एवं इसका भुगतान पॉच साल तक बराबर मात्रा में बॉटकर प्रत्येक महीना उनके कार्य के प्रगति के आधार पर किया जायेगा।

(3) सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत पहली प्राथमिकता सभी निःसक्त (Differently abled) व्यक्ति रहेंगे, दूसरी प्राथमिकता सभी समुदाय के विधवा एवं तीसरी प्राथमिकता सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाएँ रहेंगी। तद्नुसार इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

(4) Facilitator की यह भी जिम्मेवारी होगी कि इस योजना के अन्तर्गत जो भी महिला कार्य करेंगी उन महिलाओं का, कम–से–कम 12 महिलाओं का समुदायवार स्वयं सहायता समूह बनाकर जीविका संस्था के योजनाओं के साथ जोड़ेंगे, ताकि इन महिलाओं को अन्य जीविकोपार्जन का भी लाभ मिल सके।

(5) इस परियोजना के लिए एक प्रोजेक्ट मेनेजमैंट यूनिट का सृजन किया गया है जिसके नोडल पदाधिकारी श्री कुमार सिद्धार्थ, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को बनाया गया है जिनका मोबाईल नं0–9431818387 है। किसी प्रकार की कठिनाई होने पर इनसे सम्पर्क किया जा सकता है।

विश्वास भाजन,

(एस0 एम0 राजू)
7.1.15
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–215 369/पटना, दिनांक– 07 जनवरी, 2014

प्रतिलिपि, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।
7.1.15